

कार्यालय नगर निगम, कोटा
मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना
संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश
(नगर निकाय के उपयोग हेतु)

क्रमांक.न.नि.को/बी.पी.एल /13-14/2079-2086

दिनांक:- 16.09.2013

बीपीएल सेन्सस-2003 में से राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में निम्नानुसार लाभार्थियों को मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। पात्र व्यक्तियों को योजना के अनुसार प्रथम किश्त की राशि रुपये 33000/- हजार एतद्वारा किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर जारी की जाती है।

- आवेदक को अपना आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
- योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण उन्नयन हेतु राशि 70000 रुपये तथा शोचालय निर्माण के लिए पृथक से 50000 रुपये की राशि देय होगी। इस प्रकार कुल राशि 75000 हजार देय होगी। प्रथम किश्त में 28000/- रुपये एवं 5000/- रुपये शोचालय निर्माण हेतु, कुल राशि 33000/- रुपये, द्वितीय किश्त राशि 28000/- रुपये तथा तृतीय किश्त राशि में 14000 /- रुपये की राशि देय होगी।
- भूमि जिसमें आवास निर्माण/उन्नयन कराया जायेगा, उसके पट्टे की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
- मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (IHSDP) राजस्थान विशेष आवास योजना शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा कार्यक्रम (BSDP) के अंतर्गत पट्टे की अनिवार्यता नहीं होगी बशर्ते लाभान्वित प्रतिबंधित भूमि यथा वन क्षेत्र, डूब क्षेत्र, नदी-नाले, आगोर, देवस्थान, रक्षा विभाग आदि की भूमि पर निवास नहीं कर रहा है। पट्टे के अभाव में लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पास व्यक्ति/ परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप वर्ष 2009 से पूर्व के निवास के निम्नांकित दस्तावेज ग्राह्य मान माने जायेंगे।

- मतदाता सूची में नाम।
- राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
- बिजली, पानी टेलीफोन आदि के बिल।
- सक्षम प्राधिकारी से जारी पुराना पट्टा/विक्रय पत्र अथवा सत्यापित साइड प्लान जिसमें लाभान्वित का नाम एवं कब्जे शुदा भूमि का विवरण अंकित हो।
- किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।
- कब्जेधारी को पूर्व में जारी कोई नोटिस/पत्र आदि की प्रति।


नोट:- यह स्वीकृति आदेश भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।


वर्ष 2013-14 अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में लाभान्वित किये जाने वाले पात्र परिवारों की वार्डवार सूची :-

क्र.सं.	जोन	नयी वार्ड संख्या	पूर्व वार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति एवं पता	चयनित क्रमांक	जाति S.C-(1) S.T-(2) O.B.C- (3) Gen-(4) अल्पसंख्यक-(5)	बैंक का नाम मय शाखा	खाता सं.	कुल स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी की गई कुल राशि	हस्तान्तरित की जाने वाली प्रथम किश्त की राशि			विशेष विवरण
											योजनान्तर्गत राशि	राज्य सरकार की अति. सहायता	योग 28000/- ₹ + 5000/-₹	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रामपुरा	51	30	जगदीश	30/544				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
2	रामपुरा	51	30	नन्द किशोर	30/598				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन

3	रामपुरा	51	30	भागवती			30/599				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
4	रामपुरा	51	30	नरेन्द्र कुमार			310/597				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
5	रामपुरा	51	30	गजानन्द			30/596				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
6	रामपुरा	51	30	इन्द्र कुमार			30/31				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
7	रामपुरा	51	30	बशरुद्दीन	इस्माईल		30/772				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
8	रामपुरा	51	30	अफसर कुरैशी	अकील कुरैशी		30/398				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
9	रामपुरा	51	30	अकील अहमद	इकबाल अहमद		30/397				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
10	रामपुरा	51	30	आबिद हुसैन	जियफत		30/418				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
11	रामपुरा	51	30	फखरे आलम	बुन्दु		30/142				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
12	रामपुरा	51	30	अब्दुल रशीद	अब्दुल हमीद		30/170				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
13	रामपुरा	51	30	बशरुद्दीन	अब्दुल रजाक		30/171				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
14	रामपुरा	51	30	आबिद हुसैन	करम ईलाही		30 / 516				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
15	रामपुरा	51	30	मोहम्मद रफीक	नसीर बनारसी		30 / 763				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
16	रामपुरा	51	30	जमील	इस्माईल खा		30 / 477				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
17	रामपुरा	51	30	मोहम्मद आरिफ	जमील खान		30 / 478				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
18	रामपुरा	51	30	अब्दुल वहीद	मोहम्मद अययुब		30 / 281				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
19	रामपुरा	51	30	जाहिद हुसैन	मुश्ताक अहमद		30 / 315				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
20	रामपुरा	51	30	मजुर अहमद	अब्दुल अजीज		30 / 458				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
21	रामपुरा	51	30	जमील अहमद	छोटे खान		30 / 590				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
22	रामपुरा	51	30	जमील	मोहम्मद इस्माईल		30 / 405				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
23	रामपुरा	51	30	अख्तरी	मोहम्मद हुसैन		30 / 403				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
24	रामपुरा	51	30	अब्दुल कादर	लटुर उस्ताद		30 / 715				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
25	रामपुरा	51	30	खेमचंद	रामलाल		30 / 521				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
26	रामपुरा	51	30	वभंवरी बाई	रामलाल		30 / 541				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन


27	रामपुरा	51	30	श्रीनाथ शुक्ला	लक्ष्मीनारायण		30 / 17			75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
28	रामपुरा	51	30	योगेश शुक्ला	श्रीनाथ शुक्ला		30 / 19			75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
29	रामपुरा	51	30	रामभरोसी बाई	सूरजमल		09 / 169			75000	-	-	-	33,000	उन्नयन


आयुक्त
 (राजस्थान विधानसभा एवं बी.पी.एल)
 नगर निगम, कोटा


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 नगर निगम, कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री. इज्यराज सिंह जी माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कोटा बून्दी।
2. माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा।
3. महापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
4. पार्षद श्री.....वार्ड नं.....।
5. प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड (RAVIL) जयपुर।
6. उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
7. आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....।
8. रक्षित पत्रावली।


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 नगर निगम, कोटा

